(38)

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

No. A/2-1/2007-WII (Vol. VIII: 2014-15)

दिनांक 24 जून 2014

प्रेषित

श्रीमती प्रेमा कोठारी
तल्ला चीनाखान
अल्मोड़ा – 263 601

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना के संदर्भ में।

संदर्भः (1) आपका सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.5.2014.

(2) फोटोकापी शुल्क भेजने हेतु आपका पत्र दिनांक 20.6.2014

महोदया,

आपके उपरोक्त वर्णित पत्र के माध्यम से वांछित सूचना, निर्धारित फोटोकॉपी शुल्क प्राप्त होने पर आपको प्रश्नवार एवं उचित संलग्नकों के माध्यम से 9 पृष्ठों में उपलब्ध कराई जा रही है।

अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील प्राधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं, जिनका पता निम्नानुसार है–

डॉ0 वी.बी. माथुर, निदेशक एवं अपील प्राधिकारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पो.ओ. बॉक्स 18, चन्द्रबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

धन्यवाद।

भवदीय,

(असीम श्रीवास्तव)
लोक सूचना अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार (9 पृष्ठ) (P-24-31)

26/6/2014

पत्रपेटी सं0 18, चन्द्रबनी, देहरादून – 248001, उत्तराखण्ड, भारत
Post Box No. 18, Chandrabani, Dehradun – 248001, Uttarakhand, INDIA
ई.पी.ए.बी.एक्स : +91-135-2640111 से 2640115 फैक्स : 0135-2640117
EPABX : +91-135-2640111 to 2640115; Fax : 0135-2640117;
ई–मेल / E-mail: wii@wii.gov.in, वेब / website: www.wii.gov.in

(32)

भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी, देहरादून

सं0ए /2–31/2005 – भा0व0सं0 दिनांक : 29 मई, 2014

विषयः सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः लोकसूचना अधिकारी के दिनांक 26.05.2014 के पत्रांक के सम्बन्ध में।

उपरोक्त सन्दर्भ में श्रीमती प्रेमा कोठारी, तल्ला चीनाखान, अल्मोडा द्वारा मांगी गयी सूचना क्रमवार निम्नवत है।

1. वर्ष 2004 से पूर्व भारतीय वन्यजीव संस्थान में नियुक्त हुए कार्मिकों को पेन्शन का निर्णय इस संस्थान के शासकीय निकाय द्वारा लिया गया था। इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय की XXIV मीटिंग दिनांक 17.05.1994 में लिए गये निर्णय का कार्यवृत्त संलग्न है।

2. यह पेंशन योजना संस्थान द्वारा वर्ष 1994 से लागू की गयी है। इस सम्बन्ध में क्रम संख्या 1 के अर्न्तगत दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं।

3. संस्थान की पेंशन पालिसी संस्थान की शासकीय निकाय द्वारा स्वीकृत है। जिसका कार्यवृत्त की प्रति ऊपर क्रम सं0 1 के उत्तर में संलग्न कर दी गयी है।

4. लाभार्थी कार्मिकों की सूची संलग्न है।

5. इस संस्थान में पेंशन ~~का~~ के भुगतान हेतु पेन्शन फंड बनाया गया है जिसकी स्वीकृति उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित संस्थान की शासकीय निकाय की XXIV मीटिंग दिनांक 17.05.1994 द्वारा दी गयी है।जिसकी कार्यवृत्त की प्रति पैरा 1 के अर्न्तगत संलग्न है।

6. वांच्छित जानकारी ऊपर क्रम सं0 1 से क्रम सं0 5 तक उपलब्ध करवा दी गयी है।

राजीव

(राजीव मेहता)
सहायक ग्रेड –I

प्रशासनिक अधिकारी

CP/6

Pl. put up immediately.

13.6.2014